राशन दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने गलत तथ्य पेश कर राशन की दुकान आवंटित करवाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख खाद्य व आपूर्ति सचिव, टोंक कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी से छह सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस मनीष शर्मा ने यह आदेश टोंक जिले की देवली तहसील के निवारिया गांव निवासी महेश नारायण की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राशन दुकान आवंटन समिति ने निवारिया की राशन दुकान का आवंटन सुनीता कुमारी के नाम कर दिया, लेकिन उसने आवेदन में गलत तथ्य पेश किए थे। वह विवाहिता है और उसका ससुराल लांबा, टोंक में है। वहां की मतदाता सूची में भी उसका नाम है और उसने निवारिया गांव की मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करवा रखा है। यह जानकारी ना तो आवेदन पत्र में दी और ना ही आवंटन कमेटी ने इन गलत तथ्यों की कोई जांच ही की। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राशन की दुकान का आवंटन गलत तथ्यों की अनदेखी कर हो रहा है, इसलिए आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दुकान आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

NAME CHANGE

I army no 16012858L Ex RFN Laxmn Singh Shekhawat resident of I-153 I block naryan city kalwar road hathoj jaipur that i want to change name of my son from RAGVENDER PARTAP SINGH SHEKHAWAT to RAGHVENDRA PRATAP SINGH SHEKHAWAT & Daughter name from AARTI KANWAR To ARTI KANWAR vide affidavit dated 22/9/26 before sub divisional magistrate jaipur city south

I army no 3004858W Ex Nk Kaptan Singh gurjar S/O Ram singh resident of village Bada gaon post kharla Tehsil mahwa dist dausa that i want to change name of my dependent from AMRENDER SINGH to AMRENDRA SINGH vide affidavit dated 22 sep 2026 before sub divisional magistrate jaipur city south

खोया पाया

मेरी 2 दुकान S-9 & S-10 शिव निकुंज श्रीरामपुरा जयपुर का मूल पट्टा जो की धीरेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रताप ओझा के नाम से है कहीं गिर गये मिलने पर सूचित करें। 8252851484

मेरा मकान सं. 176/07 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9828438789

निजी खातेदारी की योजना विनायंक रेजीडेंसी के भू. सं. C-26 का मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान व स्टाम्प पेपर जयपुर मे कही खो गये है सूचित करे- सरिता झुन्झुन्वाला मो.9782485557

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल तनवीर इफ्तेखार पुत्र इफ्तेखार अहमद, अचल सम्पत्ति मकान न. 653, मणिहारो का रास्ता, चौकडी मोदीखाना, जयपुर का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कुल क्षेत्रफल 81.78 वर्गमीटर को सम्पत्ति मालिक दीपक जैन, चंचल जैन, देवांशु जैन, शुभान्शु जैन, मीना कुमारी जैन, निर्मला बाकलीवाल से खरीदना चाहता है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय बाबत यदि किसी को कोई हक, हित, अधिकार, मांग, आपत्ति आदि हो तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे अपने हक, हित, अधिकार, मांग, आपत्ति आदि से सम्बन्धित दस्तावेज सहित सात दिवस मे निम्नलिखित पते पर सूचित करे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद यह मान लिया जावेगा कि उक्त विक्रय की जा रही सम्पत्ति के विक्रय बाबत किसी भी प्रकार का कोई हक, हित, अधिकार, मांग, आपत्ति आदि नहीं है।
जयपुर, दिनांक 01.09.2026 देवेशचन्द्र स्वामी, एडवोकेट
मंदिर श्री माधो बिहारीजी, रिजर्व पुलिस लाईन के सामने चांदपोल बाहर, जयपुर 302016, मो. 9414073893

नाम संशोधन सूचना

मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम भास्कर शर्मा है जिससे बदलवाकर अनिल कुमार भारद्वाज करवाना है जिसकी गैजेट प्रकाशन संबंधित कार्यवाही की जा चुकी है, भविष्य में मेरी पुत्री के शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम अनिल कुमार शर्मा पढा व माना जाए।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 3582 दिनांक :-01/09/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 261/30 (MIG-A), (एरिया 96.000 वर्गमीटर,) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री बलवंत कुमार पुत्र श्री उत्तम दास मेटवानी को किया जाकर आंवटन पत्र क्रमांक 6414 दिनांक 13.03.2009 को जारी किया गया। श्री बलवंत कुमार द्वारा श्री सीताराम गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल गुप्ता को दिनांक 15.10.2009 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री सीताराम गुप्ता के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री बलवंत कुमार के पक्ष मे पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 13.11.2009 को पंजीकृत करवाये गये। श्री सीताराम गुप्ता द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 15.12.2009 के द्वारा श्री पीयूष कुमार जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री पीयूष कुमार जैन के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 975 दिनांक 13.05.2010 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री पीयूष कुमार जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 30.06.2022 के द्वारा श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री सन्तोष कुमार गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-दशम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री सन्तोष कुमार गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास के रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती अनिता गुप्ता पत्नी श्री सन्तोष कुमार गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर में नकली खाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़

दौलतपुरा थाना पुलिस ने फैक्ट्री से 40 टन खाद और एक हजार कट्टे जब्त किए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर नकली खाद के नाम पर बड़ा खेल करने वाली फैक्ट्री का जयपुर पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया। जयपुर पश्चिम की जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने दौलतपुरा थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 40 टन नकली खाद, एक हजार से अधिक कट्टे, बारदाना, नकली खाद के परिवहन में इस्तेमाल ट्रक और अन्य सामान जब्त किया। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री संचालक सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में नमक, कंकर और पत्थर में रंग मिलाकर खाद तैयार की जा रही थी। इसके बाद अलग-अलग कंपनियों और ब्रांड के नाम वाले कट्टों में भरकर इसे खाद के रूप में बाजार में भेजा जा रहा था। पुलिस को नकली खाद की सप्लाई गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित अन्य राज्यों तक किए जाने की आशंका है।

जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि डीएसटी वेस्ट को दौलतपुरा इलाके में नकली खाद तैयार किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अतिरिक्त डीसीपी पश्चिम राजेश गुप्ता के सुपरविजन में डीएसटी वेस्ट प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम गठित कर फैक्ट्री पर दबिश दी गई।

कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली खाद और इसे तैयार करने में इस्तेमाल सामग्री मिली। प्रारंभिक जांच में फैक्ट्री का संचालन दो पार्टनर द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर दूसरे साझेदार सहित अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगा रही है।

- नमक, कंकर और पत्थर में रंग मिलाकर बना रहे थे नकली खाद
- गुजरात, एमपी, ओडिशा समेत कई राज्यों में सप्लाई का संदेह

पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में तैयार नकली खाद को अलग-अलग कंपनियों और ब्रांड के नाम वाले कट्टों में भरा जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली खाद तैयार करने के लिए कौन-कौन सी सामग्री, रंग और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तैयार माल किन कारोबारियों के माध्यम से दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता था।

इस मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के साथ पुलिस नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुलिस का कहना है कि पूछताछ और आगे की गिरफ्तारी के बाद ही नकली खाद के पूरे सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता चल सकेगा।

पुलिस के अनुसार ऐसी फैक्ट्रियों में तैयार नकली खाद को आमतौर पर उन दूर-दराज के इलाकों में भेजे जाने की आशंका रहती है, जहां खाद की किल्लत रहती है। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस फैक्ट्री से अब तक कितनी मात्रा में नकली खाद बाहर भेजी गई और किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई हुई।

जयपुर में नकली खाद के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले हरमाड़ा थाना क्षेत्र में कृषि विभाग ने 29 और 30 मई को सीकर रोड स्थित एक परिसर पर छापा मारकर नकली जैविक खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी।

वहां नमक में रंग मिलाकर उसे म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के नाम पर बेचे जाने का मामला सामने आया था। कृषि विभाग की शिकायत पर हरमाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कर्ज चुकाने के लिए रची थी एटीएम लूट की साजिश

करौली के जंगलों से दो आरोपी दबोचे रामनगरिया पुलिस ने

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। रामनगरिया थाना क्षेत्र में अक्षय पात्र मंदिर के पास बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के एटीएम में कैश डालने पहुंचे कर्मचारियों से 42 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को करौली के जंगलों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अंशू कुमारी जाटव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 26.80 लाख रुपए बरामद कर लिए थे। अब पुलिस ने वारदात में शामिल सुमित जंगम (26) मासलपुर जिला करौली हाल प्रताप नगर जयपुर और पुष्पेंद्र मीणा (28) निवासी मासलपुर जिला करौली हाल प्रताप नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

आरोपी सुमित जंगम और पुष्पेन्द्र मीणा

जयपुर पूर्व डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि सुमित जंगम और पुष्पेंद्र मीणा पर काफी कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। इसके लिए दोनों ने बैंक और एटीएम की रेकी शुरू की। रेकी के दौरान सामने आया कि अक्षय पात्र मंदिर के पास स्थित बीओआई एटीएम में कैश डालने का समय निश्चित नहीं था और वहां अक्सर महिला कर्मचारी तैनात रहती थीं। आरोपियों को यह जगह वारदात के लिए आसान लगी।पुलिस के अनुसार तीन दिन की लगातार छुट्टियों के बाद एटीएम में बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाई जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने हथियार दिखाकर कर्मचारियों से करीब 42 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए।एडीसीपी जयपुर पूर्व पारसमल जैन और एसीपी सांगानेर दीपक खंडेलवाल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। डीएसटी पूर्व की मदद से पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही आरोपियों के आने-जाने के संभावित रास्तों का रूट मैप तैयार किया गया। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान होने के बाद उनकी तलाश शुरू की गई।

- 42 लाख की लूट में अब तक तीन बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े
- मुख्य आरोपी अंशू से 26.80 लाख बरामद, वाहन और बाकी रकम की तलाश

पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी करौली के जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके बाद रामनगरिया थाने के हेड कांस्टेबल नाहर सिंह के नेतृत्व में टीम करौली पहुंची और दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त वाहन और लूटी गई शेष रकम की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को राज उन्नति की 9वीं बैठक में करीब 15 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने और सभी परियोजनाओं को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान विकास के केंद्र में हैं, सरकार की योजनाओं में देरी पर जिम्मेदारी तय होगी।

बैठक में प्रदेश के 65,308 सरकारी स्कूलों के तकनीकी सर्वे में 3587 जर्जर भवन और 71078 कक्षा-कक्षों में सुधार की जरूरत सामने आई है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर करीब 12 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अटल प्रगति पथों के शेष कार्य नवंबर 2026 तक पूरे करने तथा अटल ज्ञान केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का आवास देने का लक्ष्य है। बैठक में बताया गया कि वीबी-जीरामजी योजना में जुलाई से अब तक 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों से 1 जनवरी से 21 सितंबर तक प्राप्त 8.97 लाख शिकायतों में 8.68 लाख का निस्तारण हो चुका है। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरआईटी) स्थापित किए जाएंगे।

निकाय चुनावों में भाजपा की जीत से बौखला गए हैं अशोक गहलोत : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा "गहलोत अपना वार्ड हार गए, पीसीसी चीफ डोटासरा पर गुस्सा हैं, लेकिन आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं।"

-कार्यालय संवाददाता-

बीकानेर/जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखला गए हैं। वे खुद अपना वार्ड हार गए हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर गुस्सा हैं, लेकिन अपनी हार का दोष दूसरों को दे रहे हैं। जबकि गहलोत को इस करारी हार का विश्लेषण करना चाहिए।

बीकानेर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, "अशोक गहलोत के आरोपों की भाषा निरंतर बदल रही है, जिसके कई कारण हैं। मैं जब रोड शो कर रहा हूं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को रोड शो नहीं करना चाहिए। जब चुनाव हारते हैं तो पीसीसी चीफ से कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने रोड शो किए तो पीसीसी को भी करने चाहिए। असल में उनके गुस्से का कारण पीसीसी चीफ हैं, वो इसलिए क्योंकि गहलोत अपना वार्ड भी हार गए हैं। कांग्रेस में इनकी आपस की लडाईयां हैं।"

- भजनलाल शर्मा ने कहा कि "कांग्रेस का जनाधार निरंतर सिमट रहा है, परंतु इनके नेता अपने बेटों की लॉन्चिंग में लगे हैं।"

भजनलाल शर्मा ने कहा कि, "गहलोत ने वर्ष 2018 में बसपा के साथ क्या किया था, वो सब जानते हैं। बेहतर है कि वे अपने गिरेबान में झांकें और दूसरों पर आरोप ना लगाएं। कांग्रेस का तो जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है। आज यह कुछ ही राज्यों में शेष है और भविष्य में कहीं नहीं रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के नेता तो अपने बेटों की लॉन्चिंग करने में लगे हैं। सोनिया गांधी तो राहुल गांधी की लगातार लॉन्चिंग कर रही हैं और गहलोत अपने बेटे की।"

मुख्यमंत्री भजनलाल ने, अशोक गहलोत से पूछा है कि वे बताएं जब कांग्रेस सरकार का राज था तो उन्होंने एक निगम के दो टुकड़े क्यों किए? वे अब वार्डों पुनर्सीमांकन पर प्रश्न उठा रहे हैं लेकिन हमने तो वार्डों को नियम से ही बनाया है। ये वार्ड बने एक साल हो गया, उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में मिला जनादेश राजस्थान की जनता का भाजपा के लिए प्रेम है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास और प्यार हमें आगे भी मिलता रहेगा, यह गहलोत को पच नहीं रहा है। उन्हें आंकलन करना चाहिए कि क्या-क्या कमी रहीं।

जीएसटी विभाग ने प्रदेश में पांच प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा

जयपुर। राज्य कर विभाग ने कर अपवंचना और संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में 5 प्रतिष्ठानों का सर्वे एवं जांच की। जांच में 22.79 करोड़ रुपए की संभावित कर देयता सामने आई, जिसमें से अब तक 17.93 करोड़ रुपए जमा या आईटीसी रिवर्स किया गया है। शेष देयता को लेकर कार्रवाई जारी है। भिवाड़ी में एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की जांच के दौरान पूर्व में निरस्त जीएसटी पंजीयन वाले आपूर्तिकर्ता से खरीद पर आईटीसी लेने का मामला मिला। यहां 60 लाख रुपए की संभावित देयता के विरुद्ध 29.23 लाख रुपए जमा किए गए।इसी तरह सरदारशहर में सेवाड़ा ट्रेडिंग कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त आईटीसी दावे में 54.14 लाख रुपए की संभावित देयता सामने आई।

आरजीएचएस में प्री-अथराइजेशन से क्लेम 47 प्रतिशत घटे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक जांचों पर रोक लगाने के लिए 15 जुलाई से लागू "प्री-अथराइजेशन" व्यवस्था के बाद क्लेम में 47 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। व्यवस्था के तहत 2000 रुपए से अधिक की जांचों के लिए प्री-अथराइजेशन अनिवार्य किया गया है। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर अस्पतालों और चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।चिकित्सा-स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन, जांच और क्लेम से जुड़ी गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।आरजीएचएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि डिजिटल सिस्टम से अस्पतालों और डॉक्टरों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। प्री-अथराइजेशन से अनावश्यक जांचों और क्लेम पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिली है।

प्रोजेक्ट अधिकारी आरजीएचएस डॉ. निधि पटेल ने बताया कि कुछ मामलों में प्री-अथराइजेशन से बचने के लिए मरीजों की जांचें एक ही दिन कराने के बजाय अलग-अलग दिनों में लिखी गईं। कुछ मरीजों को 3 दिन की अवधि में अलग-अलग दिनों पर जांच के लिए बुलाया गया, जिससे उन्हें एक सप्ताह में 2-3 बार अस्पताल जाना पड़ा। डिजिटल मॉनिटरिंग से ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामले सामने आने के बाद 9 अस्पतालों का टीएमएस और 3 डॉक्टरों की डॉक्टर आईडी ब्लॉक की गई हैं।

कोटा के 2 अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक किया गया। जांच में एक ही चिकित्सक के एक ही दिन दोनों अस्पतालों में काम करने की बात सामने आई। इसी मामले में संबंधित डॉक्टर की आईडी भी ब्लॉक की गई।

जवाहर सर्किल पर दिन-दहाड़े हरे पेड़ काटे

राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर गुरूवार को जेडीए की उद्यान शाखा ने हरे पेड़ों को कटवा दिया। बताया जा रहा है कि जेडीए अधिकारियों ने 30 से 40 हरे पेड़ों को कटवाकर पिकअप वाहन में भरवाकर अन्यत्र भिजवा दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध भी किया। जानकारी के मुताबिक यहां नया रोज गार्डन विकसित करने की बात कही जा रही है। फोटो-राष्ट्रदूत

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय योजना लालचन्दपुरा, निवारू रोड जयपुर के प्लाट नम्बर ए-61 के असल दस्तावेजो पर ऋण प्राप्त कर विकास आर्य द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में रहन किये गये थे। विकास आर्य का निधन दिनांक 13/10/2024 को हो गया जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी वारिसान मे उसकी पत्नी सुनयना आर्य, दो पुत्री रामायनी सिंह आर्य एवं याश्री आर्य ही एक मात्र कानूनी वारिसान बताये गये है तथा रामायनी सिंह, तथा याश्री आर्य जरिये संरक्षक सुनयना आर्य ने उपरोक्त सम्पति के दस्तावेजो को सुनयना आर्य को दिये जाने के सन्दर्भ में अपनी सहमति दे दी है इसलिये उपरोक्त सम्पति के असल दस्तावेज सुनयना आर्य को दिया जाना है यदि इसमें किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था अथवा बैंक आदि को कोई आपति हो तो 10 दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास लिखित में मय सबूत सम्पर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपति स्वीकार नहीं की जावेगी, सूचित रहे।
दि. 14/09/2026 सतीश चन्द्र गुप्ता (एडवोकेट) मो. 9414056003
87 प्रभात कॉलानी विजयबाडी सीकर रोड जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर आम सूचना
क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2026/D-735 दिनांक : 22.09.2026
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 325955 दिनांक 19.08.2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed), Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

आवेदक का नाम	मूल आवंटी लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया
Neetu Kanwar W/o Dharmpal Singh Bhati	श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री वेद प्रकाश	166	119.62 sq. Yard	Private	Vrinda-van City	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed), Original Lease Deed (Patta)

कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज : लीजडीड, एक बार से अधिक बेचान एवं रजि. विक्रय पत्रों के आधार पर
उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed), Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति जो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection Module के माध्यम से आपत्ति Online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। उपायुक्त जोन-11

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
अज अदालत न्यायालय कामर्शियल न्यायाधीश क्रम-2, जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मैसर्स अखिलेश लेफिन प्रा.लि. जयपुर बनाम मैसर्स आर एस इण्डस्ट्रीज व अन्य
CIS-100/25
दावा बाबत वसूली
CIS वाद संख्या 311/2023
बनाम-मैसर्स आर एस इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर श्री सत्यप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री रामजीलाल खण्डेलवाल पता जी- 880 रोड नम्बर 14 पी, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर 302013 राज.
आपके विरूद्ध दावा बाबत वसूली के लिए वाद संस्थित किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29.09.2026 को दिन में 10.30 ए एम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपको प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबंद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज ता 22/9/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत By Order-Reader Commercial Court No.2 Jaipur Metropolitan-II

दस्तावेज के प्रारूप के बारे में आक्षेपो का कथन करने के लिये सूचना (आदेश 21 नियम 34)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 5 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर
इजराय संख्या 8/2025 सी आई एस इजराय 158/2025
देवेन्द्र कुमार गांधी बनाम अजय वर्मा व अन्य
इजराय
प्रेषिति:- अजय वर्मा पुत्र श्री आरपी.वर्मा जाति हिन्दु निवासी प्लाट नम्बर 87 कृष्णा नगर, सिरसी रोड जयपुर राज.
को डिक्रीदार ने उक्त आपको यह सूचना दी जाती है कि तारीख वाद में इस न्यायालय के समक्ष यह आवेदन उपस्थापित किया था की न्यायालय इसमें नीचे विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति विक्रय विलेख जिसका प्रारूप जिसके साथ उक्त उपाबद्ध है आपकी और से निष्पादित करे तारीख 13/10/26 उक्त आवेदन की सुनवाई के लिये नियत और आप उस दिन उपसंजात होने के लिये और उस प्रारूप के विरूद्ध आक्षेप लिखित रूप मे देने के लिये स्वतत्र है।
सम्पत्ति का विवरण
वाके जयपुर चौकडी हवाली गणेश विहार सिरसी रोड जयपुर में स्थित प्लाट नं. 212 जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 46 फीट व उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर 18 फीट एवं पश्चिम की ओर 20 फीट जिसका कुल क्षेत्रफल 97.11 वर्गगंज है। जितकी चारो सीमाओ में पूर्व की ओर अन्य की भूमि पश्चिम में 30 फिट चौडी रोड उत्तर में अन्य व दक्षिण में प्लाट नं. 211 है।
यह आज तारीख 23/9/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
मोहर अदालत न्यायाधीश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 5. जयपुर महानगर-प्रथम

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई- निविदा सूचना
मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनिरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए कमानुसार आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या/कार्य का नाम** : निविदा स.-ईजी.-जेपी-2026-27-106 वरि. मंडल इंजी./उत्तर/**सहायक मंडल इंजी**-सीकर के अधिकार क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षा से जुड़े विविध कार्य। **अनुमानित लागत** : 31566947.13 **बिड प्रतिभूति राशि** : 631300.00 **निविदा संख्या/कार्य का नाम** : निविदा स.-इंजी.-जेपी-2026-27-107 वरि. मंडल इंजी./उत्तर/**सहायक मंडल इंजी** - रिंगस के अधिकार क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षा से जुड़े विविध कार्य। **अनुमानित लागत** : 45658205.50 **बिड प्रतिभूति राशि** : 913200.00 **1** उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड - मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2.** निविदा संख्या इंजी./जेपी/2026-27-106 व 107 की बन्द होने की तिथि-14.10.2026 समय 15.00 बजे एवं खुलने की तिथी-14.10.2026 समय 16.00 बजे। 1376-DI/26
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
अपील सं-362/2025
दिनेश कुमार शर्मा --अपीलार्थी
बनाम
के.सी. मोटर्स आदि --प्रत्यर्थी
(अपील अन्तर्गत धारा 41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019)
प्रेषितः
1. के.सी. मोटर्स, 69, नियर पिंजरापोल गोशाला, प्रताप नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान
2. इण्डिया यामाहा मोटर्स प्रा0 लि0 511-512 तृतीय तल, अचरोल माल, संतोष नगर, अजमेर रोड, जयपुर
श्री दिनेश कुमार शर्मा ने इस आयोग के समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर प्रथम, जयपुर के निर्णय दिनांक 05.06.2025, जो परिवाद सं-202/2018 उनवानी दिनेश कुमार शर्मा बनाम के.सी. मोटर्स में पारित हुआ है, के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है।
आपको राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के समक्ष दिनांक 29/9/26 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हों, यदि आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी उपर्युक्त नियत तिथी व समय पर उपस्थित नहीं हुए तो अपील गुणावगुण के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णित कर दी जावेगी।
आज दिनांक 25/8/26 को जारी किया गया।
मोहर अदालत उप-पंजीयक रीडर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधानाचार्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांभरलेक (जयपुर)
क्रमांक/राबाउमावि/सॉभर लेक/संस्था/2025/305-306 दिनांक-24.09.2026
नीलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में आईसीटी लैब के अनुपयोगी कम्प्यूटर, सीपीयू, मोनीटर, प्रिंटर, आदि अन्य सामग्री की नीलामी दिनांक 05. 10.2026 को प्रातः 10.00 बजे विद्यालय परिसर में खुली बोली द्वारा की जावेगी।
अतः इच्छुक GST रजिस्टर्ड खरीदार धरोहर राशि 2 प्रतिशत जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। सामान एवं अन्य शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय में विद्यालय में उपस्थित होकर किया जा सकता है।
प्रधानाचार्य
राबाउमावि विद्यालय सांभर लेक (जिला जयपुर)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति भुसावर-वैर (भरतपुर)
No. :- F-( )kums/E-Nam/2026-27/200 Dated :- 23/09/2026
Notice Inviting Bid (NIB No.: 03/2026-27)
E-Bids are invited from Manufacturers/ Direct importers/Authorized dealer up to 6.00P.M. of 08.10.2026 for procurement of NIR Oil Testing Machine with Equipments for IT Lab on Tender on behalf of office of the Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhusawarvair Details may be seen in the Bidding Document at the office of the Krishi Upaj Mandi Samiti Bhusawarvair or State Public Procurement Portal website "sppp.raj.nic.in" or https://eproc.rajasthan.gov.in" or website "www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in" The bidding document may be downloaded from either of the above websites and uploaded duly filled in with payment of Rs. 1180/-(1000+18% GST) through banker's cheque/demand draft in favor of Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhusawarvair payable at Bhusawarvair Details of bid are following:-

Sr. No.	Bid Title	NIB CODE / UBN No.
1	NIR Oil Testing Machine with Equipments for IT Lab	NIB CODE - DAM2627A0337 UBN No. - DAM2627GLRC00562

Raj.Samwad/C/26/10714 Administrator Secretary